

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

कपेश्वर महतो बनाम कमलेश लीडरा वर्ग

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम...123.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी राई O.P. के अप्राथमिकी सं०-32/17 दिनांक-16.08.17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि मुमि विवाद जमीन को लेकर उभय पक्ष में विवाद है</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 22/9/17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p>	<p>T.V</p>

22-09-17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष  
अनुपस्थित द्वितीय पक्ष के मांक 01 उपस्थित  
क्रमांक 02, 03, 04 अनुपस्थित। दिनांक  
13-10-17 को रखे।

22/9/17

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
----------------------------	---------------------------------	---

09-08-19

आमि लैरवा उपरचापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता द्वारा आवेदन दिया गया कि प्रथम पत्र हाइकोर्ट में अस्त रहने के कारण व्यापारण के उपरिष्ठत नही है पा रहे हैं । दिनांक पत्र क्रमांक 01 उपरिष्ठत अन्य अनुपरिष्ठत । प्रथम पत्र अधिवक्ता द्वारा गवाही देह अगली तिथि की मोग की गरी दिनांक 23-08-19 को रहे ।

  
23/08/19

23-08-19  
24-08-19

आमि लैरवा उपरचापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता द्वारा दिनांक पत्र अनुपरिष्ठत उक्त वाद के 6(ठः) भाग की अवधि रही है उकी है अर्थात वाद कालनापित हो गया है उक्त वाद के आमि लैरवा की कार्रवाई बन्द की गरी है ।

  
24/08/19